क्रमांक – 2

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–1140/III(1)/15–62(अधि0)/2006
देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015

अधिसूचना संख्या– 1139/III(1)/15–62(अधि0)/2006, दिनांक जुलाई, 2015 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को प्रश्नगत नियमावली की हिन्दी की प्रतियों को इस आशय से संलग्न प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 देहरादून

पत्रांक 1250/91 व्यय-सा0/2015-16 दिनांक 29/7/2015

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को "उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली-2015" की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्त सेवा नियमावली-2015

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II लो0नि0वि0 – – – – – –
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता – – – – – – लो0नि0वि0 – – – –
3. डायरेक्टर क्वालिटी प्रमोशन सेल लो0नि0वि0 देहरादून
4. वै0 अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग
संख्या– 1139 / III(1)/ 15–62(अधि0)/ 2006
देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के रेखाकार/मानचित्रकार सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) "विभाग" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान से भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ड) "सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और

यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से अभिप्रेत है।

भाग–2 संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, **संलग्नक–क** के अनुसार होगी

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल किसी पद के इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते है, जैसा वे उचित समझे ।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(एक) **मानचित्रकार–**

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) ऐसे स्थाई अनुरेखकों (ट्रेसर/रेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में अस्थाई सेवा समेत कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

परन्तु अपेक्षित संख्या में अनुरेखक प्राप्त न होने की दशा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मानचित्रकार के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में यथास्थिति **10 प्रतिशत** पद प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि यदि, किसी वर्ष में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

(दो) अनुरेखक– प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

भाग–4 अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हतायें 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का देवनागरी लिपि में हिन्दी के पूर्ण ज्ञान के अतिरिक्त नीचे दी गयी न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए

(एक) <u>मानचित्रकार–</u>

(क) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और

(ख) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र–

(1) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा, अथवा

(2) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य

राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा, या

(3) विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि।

(दो) रेखाकार (अनुरेखक)– (क) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा जिसमें कला एक विषय हो और

(ख) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्रः–

(1) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड अथवा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त आई0टी0आई0 से वास्तुशिल्प/रेखाकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड राज्य या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा, अथवा

(2) विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय से रेखाकार का डिप्लोमा अथवा समकक्षीय उपाधि।

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञप्ति जारी की जाए और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञाप्ति किए जाए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(एक) परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग/अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की अधिकतम सीमा भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों/आदेशों के अनुसार होंगे।

(दो) परन्तु यह और कि भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तराखण्ड सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष के अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्ही प्रकियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में अपना समाधान कर लेगा:

टिप्पणीः– राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या

नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

वैवाहिक स्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक योग्यता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसके कारण सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–3 के अध्याय 3 मे दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग–5 भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. (1) नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली सम्भावित रिक्तियों की संख्या, जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी तथा नियम 6 के अधीन ऐसी रिक्तियों की संख्या, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उन्हें सेवायोजन कार्यालय के लिये अधिसूचित भी करेगा और प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं रोजगार समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी कराएगा।

सीधी भर्ती 15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियॉ अधिसूचित करेगा।

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियॉ अधिसूचित करके।

(चार) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियॉ अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।

चयन समिति का गठन

16. (1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी– **अध्यक्ष**

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य**

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गो का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गो का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछडे वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य**

(चार) भर्ती किए जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– **सदस्य**

(2) राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में सीधी भर्ती हेतु चयन/प्रतियोगिता परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद् अथवा ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव रखने वाली किसी राजकीय संस्था को नामित कर सकेगी।

(3) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और प्रकिया निम्नलिखित होगी–

(क) मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा होगी–

(1) भवन डिजाइन(व्यवहारिक)/व्यवसायिक सिद्वान्त (आंकलन)/सर्वेक्षण और अनुरेखण इत्यादि 100 अंक

(2) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 100 अंक

(ख) रेखाकार (अनुरेखक) के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा होगी:–

(1) रेखाकार प्रश्न पत्र 100 अंक

(2) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 100 अंक

टिप्पणी– (1) प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा की जायेगी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद का न हो।

(2) प्रश्न पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा तथा एक प्रति परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(3) परीक्षा की उत्तर शीट (Answer sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(4) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.uk.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा ।

(5) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(6) छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पांच अंक, अधिकतम 15 अंक का अधिमान दिया जायेगा।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको की मैरिट तैयार करने के बाद नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देने हेतु सक्षम प्राधिकारी को श्रेष्ठ्ता सूची संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों को योग्यता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में उनको प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो, की सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रख जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

शुल्क

17. अधिष्ठान में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को वह शुल्क देना पड़ेगा, जो राज्यपाल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए। इस शुल्क की वापसी के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणीः–

ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी, कोषागार में अथवा लोक निर्माण विभाग के निकटतम खण्डीय कार्यालय समय–समय पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और इस प्रकार से जमा किए गये शुल्क की रसीद को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

18. (1) मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 16 (1) में इंगित चयन समिति के द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अभिलेख, जिन्हें वह उचित समझे, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति, चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

19. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाए तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूची से इस प्रकार लिए जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण तथा ज्येष्ठता

नियुक्ति

20. (1) उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथा स्थिति नियम 14,15,17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाए, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चयनक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप से भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियॉ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो तब ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियॉ कर सकता है।

परन्तु ऐसी नियुक्तिया एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अथवा चयन किए जाने तक इनमें जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी पर प्रत्येक व्यक्ति की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

परिवीक्षा

21. (1) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाए;

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि अथवा बढाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(3) उपनियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय अथवा जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थाई रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को संगणित करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण

22. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थाई किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

23. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह

दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा;

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 20 के उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति से संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किए जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना, कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में उनकी रही थी, जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से एक या एक से अधिक स्रोत से की जाये और स्रोतों का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची के अनुसार ऐसी रीति से, जिसमें विहित प्रतिशत बना रहे, चक्रानुक्रम में उनके नाम रखते हुए अवधारित की जायेगी;

परन्तु जहां नियम या तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, किसी स्रोत से भरी गयी रिक्तियों के अन्तर्गत, नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, अन्य स्रोत से भरी जाए और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियां की जाए, वहां इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों की उस वर्ग विशेष की ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी मानों उन्हें अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो।

भाग–7 वेतन इत्यादि

वेतनमान

24. (1) सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के भर्ती पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त वेतनमान संलग्नक–ख में दिए गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाये तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, अन्यथा निर्देश दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

26. किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न अन्य किसी सिफारिश पर चाहें, लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त, व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

28. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में

लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है, या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य नियमावली पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हो।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

परिशिष्ट "क"

नियम 4(2) देखिए

क.स.	पद	स्थायी	अस्थायी	कुल योग
1.	मानचित्रकार	88	–	88
2.	रेखाकार	04	–	04

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	मानचित्रकार	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200
2.	रेखाकार	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1800

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

परिशिष्ठ "ग"

(नियम 15 का उप नियम (2) की टिप्पणी देखिए)

(क) मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा होगी:–

1. भवन डिंजाइन(व्यवहारिक) / व्यवसायिक
   सिद्धान्त (आंकलन / सर्वेक्षण और अनुरेखण इत्यादि — 100 अंक
2. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र — 100 अंक

(ख) रेखाकार (अनुरेखक) के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा होगी:–

1. रेखाकार प्रश्न पत्र — 100 अंक
2. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र — 100 अंक

टिप्पणी:–

1. प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा की जायेगी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद का न हो।
2. लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
4. लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) का उत्तराखण्ड की वैबसाइड www.uk.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।
5. वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
6. छटनीशुदा कर्मचारियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पांच अंक, अधिकतम 15 अंक का अधिमान दिया जायेगा।